दिनांक 16.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 24/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद प्रतापगढ़/थाना जेठवारा

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 15.10.2024 को थाना जेठवारा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेनहूँ तिराहा के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मरने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त विनय कुमार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जेठवारा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जेठवारा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विनय कुमार निवासी ग्राम पूरे सुखदेव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना रोजा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 16.10.2024 को थाना रोजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अटसलिया पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रजनीश उर्फ चौसा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जो थाना रोजा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रोजा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रजनीश उर्फ चौसा निवासी मो0 आईटीआई कॉलोनी थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।

जनपद प्रतापगढ़/थाना फतनपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 16.10.2024 को थाना फतनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जगतपुर मोड़ से कैलीडीह जाने वाले मार्ग से पुरस्कार घोषित अभियुक्त धर्मेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जो थाना फतनपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—धर्मेन्द्र निवासी जुड़ऊपुर थाना मछलीशहर जनपद जौनपुर।

जनपद एटा/थाना निधौली कलां

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 15.10.2024 को थाना निधौली कलां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त श्यामवीर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद एटा के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना निधौली कलां पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना निधौली कलां पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–श्यामवीर निवासी ग्राम नगला भूड थाना निधौली कलां जनपद एटा।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–58

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 13 मोटर साइकिल**
- **वाहन चोरी करने में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 16.10.2024 को थाना सेक्टर–58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जयपुरिया चौराहे के पास से 03 अभियुक्तों 1–विजय 2–आशीष उर्फ आशू 3–यासीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 13 मोटर साइकिल, वाहन चोरी करने में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त विजय के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त आशीष उर्फ आशू के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो में चोरी

आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त यासीन के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो में 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विजय निवासी गोतमपुरी थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–आशीष उर्फ आशू निवासी ग्राम बडपुरा थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3–यासीन निवासी अम्बेडकर कॉलोनी थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 13 मोटर साइकिल।

2–वाहन चोरी करने में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दादरी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **206 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 80 आधार/पैन कार्ड, 58 पासबुक, 70 चेकबुक**
- **32 मोबाइल फोन, 06 पेटीएम स्वाइप मशीन आदि**
- **01 हैरियर कार बरामद**

दिनांक 16.10.2024 को थाना दादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आरवी नॉर्थलैण्ड फ्लाईओवर के पास से 02 अभियुक्तों 1–गोविन्द 2–विशाल चन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 206 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 80 आधार/पैन कार्ड, 58 पासबुक, 70 चेकबुक, 32 मोबाइल फोन, 06 पेटीएम स्वाइप मशीन आदि 01 हैरियर कार बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो आधार कार्ड व रेन्ट एग्रीमेन्ट के आधार पर फर्जी तरीके से नाम व पता एवं मोबाइल नम्बर बदलवाकर क्रेडिट कार्ड व लोन करावा कर पैसे निकाल लेते है।

इस सम्बन्ध में थाना दादरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गोविन्द निवासी फरीदाबाद हरियाणा।

2—विशाल चन्द्र निवासी ईको विलेज—1 ग्रेटर नोएडा थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1—206 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 80 आधार/पैन कार्ड, 58 पासबुक, 70 चेकबुक।

2—32 मोबाइल फोन, 06 पेटीएम स्वाइप मशीन आदि।

3—01 हैरियर कार।

जनपद अयोध्या/थाना कोतवाली

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 16.10.2024 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बालूघाट बंधा के पास से 04 अभियुक्तों 1—लालसिंह 2—गुफरान 3—दीपक 4—मुन्ना को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त लालसिंह के विरूद्ध जनपद अयोध्या व बस्ती के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी आदि के 05 अभियोग, अभियुक्त गुफरान के विरूद्ध जनपद अयोध्या व बस्ती के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 12 अभियोग एवं अभियुक्त मुन्ना व दीपक के विरूद्ध जनपद अयोध्या व बस्ती के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 03—03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लालसिंह निवासी ग्राम गडरियाबाग थाना किच्छा जनपद ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

2—गुफरान निवासी वजीरगंज थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।

3—दीपक निवासी ग्राम गडरियाबाग थाना किच्छा जनपद ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

4—मुन्ना निवासी फतेहगंज दालमण्डी थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।

बरामदगी

1—चोरी की 07 मोटर साइकिल आदि।

एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट बरेली

- **मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 किलोग्राम अवैध अफीम**
- **नगद रूपया, 01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 15.10.2024 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट बरेली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रमपुरा अण्डरपास थाना भमौरा जनपद बरेली से मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 02 अभियुक्तों 1—लालता प्रसाद उर्फ छोटा 2—जोगिन्द्र उर्फ जुगनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 किलोग्राम अवैध अफीम, नगद रूपया, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना भमौरा जनपद बरेली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लालता प्रसाद उर्फ छोटा निवासी ग्राम कमालपुर थाना अलीगंज जनपद बरेली।

2—जोगिन्द्र उर्फ जुगनू निवासी ग्राम कमालपुर थाना अलीगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लगभग 30 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 किलोग्राम अवैध अफीम।

2–नगद रूपया, 01 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद कौशाम्बी/थाना करारी

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के 11 कुन्तल बिजली के तार**
- **02 लोडर वाहन आदि बरामद**

दिनांक 16.10.2024 को थाना करारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिंडरा चौराहे के पास चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1–वीरेन्द्र 2–राजेश 3–मनोज 4–धर्मेन्द्र कुमार उर्फ पिन्टू 5–सूरज को गिरफ्तार किया गया एवं एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के 11 कुन्तल बिजली के तार, 02 लोडर वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.10.2024 को थाना कौशाम्बी क्षेत्रान्तर्गत चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बिजली के तार चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना करारी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वीरेन्द्र निवासी आदिलाबाद थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर।

2–राजेश निवासी मुस्तफाबाद थाना व जनपद कौशाम्बी।

3–मनोज निवासी राधानगर थाना राधानगर जनपद फतेहपुर।

4–धर्मेन्द्र कुमार उर्फ पिन्टू निवासी मुस्तफाबाद थाना व जनपद कौशाम्बी।

5–सूरज निवासी मुस्तफाबाद थाना व जनपद कौशाम्बी।

बरामदगी

1—लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के 11 कुन्तल बिजली के तार।

2—02 लोडर वाहन आदि।

- **जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना पिलखुवा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त सुनील को धारा 364/411/467/468/420 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त ललित को धारा 364/411 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बिजनौर/थाना मंडावर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बिजनौर द्वारा थाना मंडावर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गौरव को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 16.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 23/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा A Collection of "Standard Operating Procedures for Crime scene Investigation" बुकलेट का किया गया विमोचन

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 16–10–2024 को तकनीकी सेवाएं मुख्यालय/विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा तैयार A Collection of "Standard Operating Procedures for Crime scene Investigation" बुकलेट का विमोचन किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएँ, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध व निदेशक एफ०एस०एल० उ०प्र० एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

तीन नवीन अधिनियमों के क्रियान्वयन में भारतीय न्याय संहिता/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता/भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्णित अपराधों हेतु वैज्ञानिक विधियों से घटना स्थल से साक्ष्य संकलन किये जाने तथा बीट अधिकारियों, पर्यवेक्षक, विवेचकों की सहायता हेतु व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से तकनीकी सेवाएँ, मुख्यालय उत्तर प्रदेश के निर्देशन में विधि विज्ञान प्रयोशाला उ०प्र० द्वारा SOPs बनाई गयी। इसमें Forensic Evidence को घटनास्थल से निर्धारित विधियों के तहत संग्रहण, पैकेजिंग, प्रेषण एवं संरक्षण किया जाना सम्भव होगा। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान चेन आफ कस्टडी बनाये रखना भी साक्ष्य की अखण्डता के लिए अनिवार्य है।

यह एस०ओ०पी० संकलन विभिन्न अपराधों से सम्बन्धित अपराध स्थल जॉच की प्रक्रिया अन्वेषण एवं अभियोजन में पुलिस अधिकारियों हेतु एक उत्कृष्ट मार्गदर्शिका होगी। एस०ओ०पी० जाँच एवं विवेचना अधिकारियों के साथ ही पर्यवेक्षकों को

सरंचनात्मक स्थिरता एवं स्पष्टता प्रदान करेगी जो अपराध के अन्वेषण, नियंत्रण एवं अभियोजन के लिए सार्थक सिद्ध होगी। उत्तर प्रदेश में विभिन्न फील्ड यूनिट के कर्मचारियों एवं जॉच अधिकारियों को इस एस०ओ०पी० से लाभ मिलेगा और आपराधिक घटनाओं में वैज्ञानिक तरीकों के साथ अपराध स्थल प्रबन्धन कर सकेंगे।

दिनांक 16.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 22/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा शांति एवं कानून–व्यवस्था के सम्बन्ध में की गयी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 16.10.2024 को पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून–व्यवस्था एवं विगत दिनों त्यौहारों के दौरान हुयी घटनाओं की समीक्षा की गयी तथा सम्बंधित जोनल अपर पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया गया कि जिन–जिन जनपदों में कानून व्यवस्था प्रभावित हुयी है उनकी समीक्षा करते हुये लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की एकाउंटब्लिटी फिक्स कर आज ही रिपोर्ट प्रेषित की जाये।

कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अराजक तत्वों व सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक पोस्ट कर अफवाह फैलाकर आम जनता को भड़काने का प्रयास करने वाले तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुये जोनल अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा आख्या प्रस्तुत की जाये।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आगामी त्यौहारों/आयोजनों के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गयेः–

- दंगा नियंत्रण स्कीम को अपडेट कर लिया जाये तथा उनका ड्रिल कराया जाये। दंगा नियंत्रण स्कीम में सम्बंधित मजिस्ट्रेट को भी शामिल किया जाये।
- पुलिस कर्मियों तथा संसाधनों का पूर्णरूपेण उपयोग किया जाये। आकस्मिक घटना के दृष्टिगत योजना तैयार कर समय–समय पर रिहर्सल करा लिया जाये। भीड़/दंगा नियंत्रण उपकरणों को तैयारी हालत में रखा जाये।
- दंगा नियंत्रण उपकरणों के बिना किसी भी दशा में डियूटी न लगायी जाये तथा किसी भी आयोजन से पहले पुलिस बल की विधिवत ब्रीफिंग की जाये। पुलिस बल का व्यवस्थापन पूर्व से आंकलन करके ही किया जाये।

- जुलूसों में त्रुटिरहित योजनाबद्ध पुलिस प्रबन्ध किया जाये, जुलूसों के रास्तों में पड़ने वाले मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरती जाये तथा सुरक्षा हेतु **बॉक्स फार्मेट** में डियूटी लगायी जाये।
- त्यौहारों/आयोजनों के दौरान मुख्य–मुख्य चौराहों, संवेदनशील स्थानों पर लगने वाले पुलिस बल को पूर्व से ब्रीफ करने के उपरान्त ही डियूटी पर भेजा जाये तथा स्ट्रेटजिक भवनों का चयन कर रूफ–टॉप डियूटी हैण्डसेट, दूरबीन आदि के साथ लगायी जाये।
- जनपदों में कम्यूनिकेशन प्लान तैयार किया जाये, जिसमें राजस्व विभाग के कर्मियों के साथ–साथ सभासद, वार्ड मेम्बरों, ग्राम प्रधान, ग्राम समितियों के सदस्यों, चौकीदार आदि सभी को सम्मिलित किया जाये।
- किसी भी प्रकार का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों अथवा भड़काउ भाषण देने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।
- अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए पीस कमेटी, शान्ति समितियों की गोष्ठी प्रत्येक स्तर पर कर ली जाये तथा डिजिटल वालेन्टियर्स एवं सिविल डिफेन्स का सक्रिय सहयोग लिया जाये।
- मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जाये तथा नियमित फुट पैट्रोलिंग की जाये और UP–112 के पीआरवी वाहनों का व्यवस्थापन किया जाये।
- समस्त धार्मिक स्थलों के आस–पास प्रातःकालीन पोस्टर चेकिंग पार्टी निकाल कर सघन चेकिंग कराई जाये।
- स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्क रखा जाय। विभिन्न असामाजिक एवं अवॉछनीय तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाये एवं अभिसूचना इकाईयों के माध्यम से प्राप्त होने वाली लाभप्रद सूचनाओं के आधार पर समय रहते प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- सोशल मीडिया की राउण्ड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जाये। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे–फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्ट के संज्ञान में आते ही तत्काल उनका खण्डन करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाये।

- कमिश्नरेट/जनपद के कन्ट्रोल रूम (डीसीआर, सीसीआर) में कुशल कर्मचारियों की शिफ्टवार डियूटी (24X7) लगायी जाय, जिससें सहज व त्वरित संवाद बना रहे। नियंत्रण कक्ष/उप नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से व्यवस्थापित किये जाने तथा त्वरित सूचना प्रेषण एवं उस पर कार्यवाही की सुदृढ़ प्रक्रियायें निर्धारित की जायें।